<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 28/03/2017 को आयोजित 132वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 132वीं बैठक कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री अशोक कुमार गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में श्री राजीव सिंह ठाकुर, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं स्टेट मिशन निदेशक एलपी एवं एसएचजी राजस्थान सरकार, श्री अजिताभ शर्मा आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर राजस्थान सरकार, श्री देबाशीष पृष्टी आयुक्त ई.जी.एस, राजस्थान सरकार, श्री पी.के. जैना, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री एच.एस.खितोलिया, महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्रीमति सरिता अरोरा, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री आर.के.थानवी, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, संयोजक, एस.एल.बी.सी. श्री एन.सी. उप्रेती तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, विभिन्न बैंकों, इंडिया पोस्ट, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों / अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी. **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा समिति के अध्यक्ष महोदय को उदबोधन हेतु अनुरोध किया.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष तथा कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा अपने उदबोधन में एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की.

उन्होनें बताया कि देश की अर्थव्यवस्था में राजस्थान का सातवाँ स्थान है. राज्य के आर्थिक विकास में कृषि का प्रमुख योगदान है तथा कृषि के अलावा एमएसएमई एवं पर्यटन का भी महत्वपूर्ण योगदान है. आर्थिक एवं सामाजिक विकास में गति के लिए पिछले कुछ वर्षो में राज्य सरकार द्वारा कई पहल/प्रयत्न किए हैं जिसमें से प्रमुख रिसर्जेंट राजस्थान (Resurgent Rajasthan) है जिसमें राज्य में उपलब्ध अवसरों एवं संभावनाओं में निवेश करने हेतु पूरे विश्व से निवेशकों को राजस्थान में आमंत्रित किया गया तथा ग्लोबल राजस्थान एग्री मीट- 2016 (GRAM) में कृषि क्षेत्र की नई तकनीक से राजस्थान की जनता को रूबरू करवाना एवं राजस्थान में उपलब्ध संभावनाओं (Potential) में निवेश हेतु पूरे विश्व से कृषि क्षेत्र की कंपनियों एवं कृषकों को आमंत्रित किया गया.

अध्यक्षीय उदबोधन के सार बिन्दु निम्नानुसार रहे:-

- वर्तमान में विश्व की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का दौर है.
- आईएमएफ़ के अनुसार 2017 की वैश्विक GDP 3.4% रहने की संभावना है.
- भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर पिछले तिमाही की 7.40% की तुलना में थोड़ी सी कम 7% रहने की संभावना है और 6.4% के विश्लेषकों के अनुमान से बेहतर होगी. विनिर्माण क्षेत्र में 8.30% रहने की संभावना है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 12.8% थी, खनन क्षेत्र में 7.5%, ऊर्जा में 6.8%, निर्माण क्षेत्र में 2.7%, सेवा क्षेत्र यथा होटल, परिवहन एवं संचार क्षेत्र में 7.2%, वित्तीय क्षेत्र में 3.1% एवं सार्वजनिक सेवा में 11.09% विकास दर रहने की संभावना है.
- इन सभी घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, भारत विश्व आर्थिक परिदृश्य में एक 'उज्ज्वल स्थान' के रूप में खड़ा हैं और हमारी अर्थव्यवस्था चालू वर्ष की विकास दर 7% की तुलना में आगामी वर्ष में 7.60% रहने की उम्मीद है.
- कम चालू खाता घाटा, विदेशी निवेश में वृद्धि, स्वस्थ विदेशी मुद्रा भंडार एवं मुद्रास्फीति के कम होने के संकेत भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में सहायक है.
- सभी अनूकूल संकेतों के चलते विनिर्माण क्षेत्र में भारत विश्व में 9वें स्थान से प्रगति कर 6वें स्थान पर पंहुच गया है.
- कृषकों की प्रतिबद्धता के चलते पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीफ एवं रबी के बुवाई क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है तथा बेहतर मानसून के साथ, चालू वर्ष में कृषि में 4.1% की वृद्धि होने की उम्मीद है.
- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की गयी है जिसमें वर्ष 2016-17 में 30%, 2017-18 में 40% एवं 2018-19 में 50% फ़सली क्षेत्र कवरेज किये जाने का लक्ष्य रखा है.
- पिछले एक वर्ष में आर्थिक सुधारों के लिए किये गये कार्य यथा GST बिल एवं विमुद्रीकरण देश हित में ऐतिहासिक निर्णय है.
- विमुद्रीकरण के दौरान राज्य मे बैंकों के कार्यनिष्पादन पर बधाई देते हुए बताया कि राज्य में बैंक कर्मचारियों ने विमुद्रीकरण के कारण उमड़ी भारी भीड़ को सराहनीय रूप से संभाला एवं भारी दबाव के बीच विमुद्रीकरण को सफल करते हुए बेहतरीन कार्य किया.
- उन्होने प्रधानमंत्री की विमुद्रीकरण योजना के लाभों को गिनाते हुए कहा कि इससे भ्रष्टाचार में कमी, कालेधन में कमी, आतंकवाद के निधिकरण में कमी एवं बैकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की दर में भी कमी हो सकेगी.

- डिजिटलीकरण (Digitilisation) के चलते भारत सरकार ने भींम ऐप, लकी ग्राहक योजना एवं डिजि धन व्यापार योजना प्रारम्भ की हैं. इस प्रक्रिया में 7 डिजिधन मेले राजस्थान में भी आयोजित किये जा चुके हैं.
- राज्य में कार्यरत बैंकों का दिसम्बर 2016 तक व्यवसाय 590522 करोड़ रूपये पहुँच चुका हैं एवं वर्ष दर वर्ष वृद्धि 13.61% दर्ज की गई है.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य के दिसम्बर 2016 तिमाही के विभिन्न पैरामीटर्स यथा कुल जमाओं, कुल अग्रिमों, कृषि अग्रिमों, सीमांत एवं लघु कृषकों को ऋण, साख जमा अनुपात इत्यादि के बारे में बताया एवं उक्त सभी पैरामीटर्स पर एजेंडा के कार्यबिन्दु के साथ चर्चा करने की सलाह दी. अंत में राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों के आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद किया.

तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से **सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति श्री आर.के.मीना** ने बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दु पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.1) विगत **131** वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.2) **131** वीं बैठक के कार्यवाही बिन्दु:-

<u>ऑन-साईट ए.टी.एम .स्थापना</u>

अध्यक्ष, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने अवगत करवाया कि दिसम्बर 2016 तक 42 ऑन साईट ए.टी.एम. (कैपेक्स) स्थापित कर दिये गये हैं. शेष शाखाओं में ए.टी.एम. स्थापित करने की प्रक्रिया के लिए नाबार्ड एवं राज्य सरकार से सहयोग हेतु चर्चा की जा रही है.

(कार्यवाही: बीआरकेजीबी)

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक को भारतीय स्टेट बैंक से 35 ए.टी.एम. की स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त हो गयी है एवं 8 स्थानों पर ए.टी.एम. स्थापित करने के लिए निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है एवं शेष स्थानों पर जून 2017 तक ए.टी.एम. स्थापित कर दिये जाएंगे. शेष शाखाओं में ए.टी.एम. स्थापित करने की कार्य योजना से अवगत करवाने का अनुरोध किया गया.

(कार्यवाही: आरएमजीबी)

अन्य बैंक, कृपया अपनी शाखाओं के साथ ऑन-साईट ए.टी.एम. की वर्तमान स्थिति का पुनर्वालोकन करें तथा दिशा निर्देशानुसार शेष रही शाखाओं में ए.टी.एम. स्थापना हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत करें.

(कार्यवाही: नियंत्रक संबन्धित बैंक, राजस्थान)

<u>आरसेटी (RSETI) को भूमि आवंटन</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वर्तमान में 35 आरसेटी/रूडसेटी परिचालन में हैं जिनमें से 11 आरसेटी के भूमि आवंटन प्रकरण राज्य सरकार की ओर से लंबित चल रहे हैं. निम्नलिखित भूमि आवंटन प्रकरणों पर समुचित कार्यवाही कर जल्द निस्तारण करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया.

पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया हैं कि आरसेटी, भरतपुर को जिला कलेक्टर भरतपुर ने सेवर कलाँ, तहसील भरतपुर में 0.25 हेक्ट. भूमि चिन्हित कर आवंटित कर दी है.

पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि आरसेटी, अलवर हेतु सचिव, यू. आई. टी. अलवर ने प्लॉट न. 3, वैशाली नगर, अलवर मे 2500 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की है एवं सचिव, यू. आई. टी. अलवर के पत्रांक 20591/17 दिनांक 9-1-2017 से भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रकरण को संयुक्त शासन सचिव, ग्रुप-2, शहरी निकाय विभाग राजस्थान सरकार को भेजा है. वर्तमान में उक्त प्रकरण संयुक्त शासन सचिव, ग्रुप-2,शहरी निकाय विभाग राजस्थान सरकार के स्तर पर विचाराधीन है.

(कार्यवाही: शहरी निकाय विभाग एवं ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार)

आरसेटी, सवाईमाधोपुर (BoB) को पूर्व में आवंटित भूमि पर माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण प्रकरण लंबित चल रहा है एवं संस्थान को वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का आवेदन जिला प्रशासन के स्तर पर अभी भी विचाराधीन है. राजस्थान सरकार से भूमि आवंटन करवाये जाने का अनुरोध किया गया.

(कार्यवाही: शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार)

आरसेटी, चित्तौड़गढ़ (BOB) : सचिव, यूआईटी, के द्वारा आरसेटी चितौड़गढ़ के संबंध में चाही गई सूचना माह दिसंबर 2016 मे उपलब्ध करवा दी गयी थी. सचिव, नगर विकास, प्रन्यास द्वारा आश्वासन दिया गया था कि भू-उपयोग परिवर्तन की मंजूरी हेतु छूट के लिए संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर को अनुशंसा के साथ प्रकरण को प्रेषित किया जायेगा. भूमि आवंटित करने का प्रकरण जिला प्रशासन के स्तर पर अभी भी विचाराधीन है.

(कार्यवाही: शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि जिला चुरू (BOB), धौलपुर (PNB), पाली (SBBJ), जैसलमेर (SBBJ), जालौर (SBBJ), बाड़मेर (SBBJ), जोधपुर (ICICI Bank), श्रीगंगानगर (OBC) की आरसेटी के भूमि आवंटन प्रकरणों का निस्तारण हेतु सचिव ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त सभी प्रकरणों के जल्द निस्तारण हेतु संबन्धित विभाग को निर्देश प्रदान करावें ताकि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने की आवश्यक कार्यवाही आरंभ कर आरसेटी के भवन निर्माण करवाया जा सके.

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार एवं प्रायोजक बैंक)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी की 131वीं बैठक में शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने आरसेटी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय आवश्यकतानुसार नए कार्यक्रम जोड़ने के निर्देशों की अनुपालना में National Academy, RSETIs बैंगलुरू द्वारा चिन्हित 59 नये रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों को भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर किया है.

(कार्यवाही: राज्य निदेशक, आरसेटी एवं आरसेटी)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी की 131वीं बैठक में मुख्य परिचालन प्रबन्धक, राजीविका ने व्यवस्थापन दर (Settlement Rate) को सुधारने की सलाह के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 के 28643 प्रशिक्षणार्थियों के लक्ष्यों के सापेक्ष दिसंबर 2016 माह तक 26564 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है. दिसम्बर 2016 तिमाही तक समेकित (Cumulative) प्रशिक्षणार्थियों को व्यवस्थापित करने की दर 65.85% है एवं आरसेटी में प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लाभान्वित किये जाने से क्रेडिट लिंकेज दर 34.05% है जो क्रेडिट लिंकेज की बेंचमार्क दर 25% से ऊपर है तथा इसके लिए संस्थानों ने सराहनीय प्रयास किये हैं.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने RSETI/RUDSETI के प्रशिक्षणार्थियों के ऋण आवेदन पत्र बिना किसी ठोस कारण के बैंक शाखाओं के स्तर से नहीं लौटाए जाने के निर्देशों की अनुपालना में एसएलबीसी की सलाह को पुनः दोहराया गया कि ऋण आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करने के निर्णय का विवेकाधिकार शाखा प्रबन्धक से एक स्तर ऊपर यथा नियन्त्रकों के स्तर पर किया जाना चाहिए.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>वसूली (Amendment in PDR Act)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैकों के लिए तेजी से बढ़ता हुआ NPA चिंता का विषय है एवं प्रायोजित कार्यक्रमों में सरकार से वसूली में सहयोग की अपेक्षा की जाती है एवं सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत प्रदत्त ऋणों को राजकीय बकाया (Govt. Dues) की श्रेणी में वर्गीकृत करने हेतु राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1952 में संशोधन करने के सम्बन्ध में बैकों के लम्बे समय से किये जा रहे अनुरोध पर पुन: विचार करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया ताकि आगे नये ऋण देने में बैकों को प्रोत्साहन मिल सके.

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>साख जमा अनुपात (CD Ratio)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि डूंगरपुर जिले का CD Ratio 40% से नीचे आ जाने के कारण जिले के साख जमा अनुपात प्रदर्शन की निगरानी हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धक के समन्वय से विशेष उप समिति का गठन कर लिया गया है. समिति की प्रथम बैठक अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में 2017 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है.

(कार्यवाही: अग्रणी जिला प्रबन्धक, डूंगरपुर)

<u>वार्षिक साख योजना (Annual Credit Plan)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक की माह दिसंबर 2016 तक वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों के सापेक्ष क्रमशः 43%, 47.04% एवं 34.47% की उपलब्धि रही हैं जो राज्य की समग्र उपलब्धि 51% के सापेक्ष काफी कम है. वार्षिक साख योजना के अंतर्गत राज्य की दिसम्बर 2016 तिमाही तक प्रगति पूर्व के वर्षों से कम रही है. इसे देखते हुए राज्य के समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया गया कि उनके अधीन शाखाओं को समुचित निर्देश दें कि 2016-17 की वार्षिक साख योजना के अंतर्गत लक्ष्यों को पूरा करने का पूर्ण प्रयास करें.

(कार्यवाही: बीआरकेजीबी, आरएमजीबी एवं राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक एवं एवं अन्य नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

वित्तीय समावेशन प्लान (Financial Inclusion Plan 2016-19)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन प्लान "अप्रैल 2016 से मार्च 2019" केवल 9 बैंकों यथा बैंक ऑफ बड़ौदा, धनलक्ष्मी बैंक, आईडीबीआई, एसबीबीजे, बीआरकेजीबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरएमजीबी, एचडीएफ़सी बैंक एवं नैनीताल बैंक ने ही प्रस्तुत किया है एवं शेष बैंकों ने काफी अनुवर्तन उपरांत भी प्लान प्रस्तुत नहीं किया. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने शेष बैंकों से निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन प्लान भारतीय रिजर्व बैंक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को 15 अप्रैल 2017 तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया.

(कार्यवाही: शेष बैंकों के नियंत्रक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गांवो में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ कस्बे में खोली गयी डिजिटल शाखा मॉडल के अनुरूप एकल अधिकारी की सेवा आधारित शाखाएँ खोली जाने के संबंध में बैंक ऑफ बड़ौदा एवं ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रधान कार्यालय से अनुमति मांगी जाने से सूचित किया है. शेष बैंकों से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने तथा कार्ययोजना प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया. राज्य में कार्यरत बैंक यथा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया एवं विजया बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एवं आईसीआईसीआई बैंक ने लगभग 82 गांवों को पूर्णत: डिजिटलीकरण (Digitalisation) हेतु गोद लिये गये हैं. इन गांवों की सूचना बैंकों द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को 15 अप्रैल 2017 तक प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध भी किया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूरे देश में 89 गांवों को पूर्णत: डिजिटलीकरण (Digitalisation) हेतु गोद लिया है. इन सभी गांवों के सभी परिवारों के बैंक खाते खोले गए हैं तथा उन्हें डिजिटल लेनदेन हेतु डेबिट कार्ड, मोबाईल बैंक, भीम एप से जोड़ा गया है एवं दैनिक आवश्यकताओं के लिए होने वाले डिजिटल लेनदेन हेतु छोटे छोटे व्यापारियों को भी POS मशीनें उपलब्ध करवायी गई हैं.

5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गांवों का रोडमैप (FIP-Road Map)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक रहित 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित (Unbanked) 171 गांवों में 31

मार्च 2017 तक शाखाएँ खोलने की कार्यवाही के सापेक्ष बैकों द्वारा राज्य में 28 मार्च 2017 तक केवल 26 गावों में शाखाएं खोली हैं एवं बैकों द्वारा 71 गावों में शाखा खोलने की व्यवहार्यता (Feasibility) पाया जाना रिपोर्ट किया है एवं इन गांवो में संबन्धित बैंकों के द्वारा शाखा खोलने हेतु उनके प्रधान कार्यालय से अनुमति मांगी है तथा कई बैकों द्वारा इस संबंध में कोई पहल ही नहीं की गयी उनसे रोड़मेप के अंतर्गत आवंटित गांवों में शाखा खोलने की शीघ्र कार्यवाही किये जाने की सलाह दी.

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दिये कि बैंक रहित 5000 से अधिक आबादी वाले में गांवों में नयी शाखा खोलने की कार्यवाही में आ रही परेशानी से लिखित में आरबीआई को अवगत करवायें एवं बैंक शेष गांवों में शाखा खोलने की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ करें.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में 500 शाखाएं खोलने का लक्ष्य रखा है, बैंकों से इन लक्ष्यों के सापेक्ष उनके निदेशक मण्डल से अनुमोदन के पश्चात 354 शाखाएं खोलने की सूचना एसएलबीसी को दी है जिसमें से 31 दिसम्बर 2016 तक 140 बैंक शाखाएं खोली जा चुकी हैं.

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में 500 शाखाएं खोलने के लक्ष्य को RBI के 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गॉवों में शाखाएं खोलने के प्लान के साथ मानचित्रण (Mapping) करने के निर्दशों की अनुपालना में एसएलबीसी से अनुवर्तन के पश्चात भी बैंकों ने कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दिये गए कि सभी बैंक सुनिश्चित करें कि राज्य में किसी भी व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा हेतु 15-20 किलोमीटर चलकर जाना न पड़े, इसके लिए इन गांवों के लोगो को व्यवसाय प्रतिनिधि नियुक्त करें अथवा बैंक शाखा की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि ने उपरोक्त संदर्भ में अवगत करवाया कि उन्हें रोडमेप के अंतर्गत 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित 13 गाँव आवंटित किये हैं एवं वर्तमान में उन सभी गांवों में व्यवसाय प्रतिनिधि (BC) के द्वारा बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में 9894 ग्राम पंचायते, 9406 सब सर्विस एरिया (SSA) में विभाजित किया गया हैं. 1983 SSA में बैंक शाखाओं एवं

शेष 7423 SSA में बीसी के द्वारा बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं. उन्होने बतलाया कि बीसी के कार्य छोड़ने की दर (Attrition rate) बहुत ज्यादा है. इसके दृष्टिगत बीओबी, पीएनबी, एसबीआई, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक ने राजस्थान सरकार की संस्था RISL को कॉर्पोरेट बी.सी. नियुक्त किया है जिसके माध्यम से नये बीसी चिन्हित किए जा सकेंगे.

(कार्यवाही: एसएलबीसी एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

अध्यक्ष, महोदय ने कहा कि राज्य के सभी लोगो को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु बीसी मॉडल की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए एवं बैंक रहित गांवों में शाखाएं खोलेने की व्यवहार्यता की समीक्षा के लिए उप समिति का गठन किया जाना चाहिए तथा नई शाखा खोलने की व्यवहार्यता लाने के लिए शाखाओं में सरकारी जमाएं उपलब्ध करवाने हेतु भी राज्य सरकार से अनुरोध किया गया.

(कार्यवाही: एसएलबीसी, राजस्थान)

शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार ने नई शाखा खोलने की व्यवहार्यता लाने हेतु इन गांवों में खोली जाने वाली शाखाओं में सरकारी जमाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया.

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

आयुक्त ई.जी.एस., राजस्थान सरकार ने बताया कि व्यवसाय प्रतिनिधि के कार्य छोड़ने की दर बहुत अधिक है एवं इस संबंध में बैंकों को समय समय पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए.

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि व्यवसाय प्रतिनिधि की आय इतनी हो की बीसी अच्छे से आजीविका चला सके.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बैंकर्स को सलाह दी कि व्यवसाय प्रतिनिधि के कार्यों की गहन निगरानी की आवश्यकता है एवं प्रत्येक शाखा को बीसी को अपने शाखा का स्टॉफ मानते हुए उचित व्यवहार किया जाना चाहिए. साथ ही समय समय पर बैंक अथवा सरकार के परिपत्रों की जानकारी उपलब्ध करवानी चाहिए. बैंकिंग की नई तकनीक/सुविधा के बारे में बीसी को प्रशिक्षित करते रहना चाहिये. बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के स्तर से नियमित रूप से बीसी से विचार-विमर्श एवं बीसी के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जानी चाहिये. बीसी को अन्य कार्य यथा सामाजिक सुरक्षा योजना, ऋण प्रस्ताव लाने एवं ऋण वसूली जैसे कार्यों में संलिप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये जिससे उसकी आय में अपेक्षित वृद्धि हो एवं अच्छे से आजीविका चला सके.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने उप समिति के गठन हेतु राज्य सरकार के प्रतिनिधि, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि, नाबार्ड के प्रतिनिधि एवं बैंकों के वरिष्ठ प्रतिनिधि के रूप में सदस्यों के मनोनयन हेतु सुझाव दिया. इस सुझाव को सदन द्वारा अनुमोदित किया गया एवं उपसमिति की बैठक शीघ्र किये जाने का निर्णय भी लिया गया.

(कार्यवाही: एसएलबीसी एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं प्रोध्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि आरआईएसएल (RISL) को चार बैंकों द्वारा कॉर्पोरेट बीसी बनाया गया है एवं अन्य बैंकों से भी आरआईएसएल (RISL) को कॉर्पोरेट बीसी बनाने का अनुरोध किया. उन्होने बताया ICICI बैंक ने 850 से अधिक ईमित्र को बीसी/पे-पॉइंट नियुक्त किया है जो औसतन प्रति माह 400 लेनदेन कर रहे हैं एवं पिछले चार माह में लगभग 100 करोड़ रू की राशि का लेन-देन किया है एवं अप्रैल 2017 माह के अंत तक लगभग 5000 और बीसी/पे-पॉइंट लगाने की कार्य योजना है.

(कार्यवाही: शेष नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>कनेक्टिविटी की समस्या (Connectivity Issue)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य सरकार के कनेक्टिविटी चैनल राजनेट के माध्यम से जिन स्थानों पर शाखा /बी.सी. संचालित करने में कनेक्टिविटी की समस्या है वहाँ पर राजनेट के द्वारा कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया.

अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी की समस्या हमें रिपोर्ट की गयी है उनकी व्यवहार्यता (Feasibility) की समीक्षा 10 अप्रैल 2017 तक पूर्ण कर ली जायेगी. राज्य सरकार की प्राथमिकता अभी नई सृजित की गयी ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी की समस्या दूर करने की भी है एवं 15 अप्रैल 2017 से दो माह के अंदर कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान कर दिया जायेगा परंतु कनेक्टिविटी से संबन्धित प्रति स्थान आवर्ती खर्चे (Recurring Expenses) लगभग 5 लाख रू आता है एवं 500 से अधिक स्थानों पर कनेक्टिविटी पर सालाना खर्च 20 से 25 करोड़ रू आने की संभावना हैं. उन्होनें सदन को बतलाया कि राज्य सरकार इन व्ययों को वहन करने में असमर्थता व्यक्त कर चुकी है. उन्होने उक्त खर्चे बैकों अथवा नाबार्ड द्वारा वहन करने हेतु अनुरोध किया.

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने कहा कि हालांकि बुनियादी सुविधाएं राज्य सरकार के स्तर से उपलब्ध करवाने का पूर्ण प्रयास किया जाता है तथा इसके अभाव में

बैंक/बी.सी. संचालित किया जाना संभव नहीँ है. उक्त खर्चों को बैंकों/नाबार्ड द्वारा वहन करने की संभावना तलाशने के संबंध में एसएलबीसी की उपसमिति की आगामी बैठक में चर्चा करने का प्रस्ताव किया.

(कार्यवाही: सूचना एवं प्रद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार, एसएलबीसी एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंकों ने कनेक्टिविटी की समस्या से ग्रस्त 819 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां नाबार्ड ने FIF के अंतर्गत सोलर वीसैट लगाने के लिए फ़ंड स्वीकृत किया है. सोलर वीसैट लगाने के संबंध में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बीआरकेजीबी, आरएमजीबी एवं पीएनबी ने सूचित किया कि सोलर वी-सेट उपकरण की आपूर्ति प्रक्रियाधीन है एवं बैंक ऑफ बड़ौदा ने 165 स्थानों पर व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 11 स्थानों में वीसैट स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ किये जाने से सूचित किया.

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बैंकों से अनुरोध किया कि जिन स्थानों पर नाबार्ड ने FIF के अंतर्गत सोलर वीसैट लगाने के लिए फ़ंड स्वीकृति जारी की है, उसके व्ययों के पुनर्भरण हेतु नाबार्ड से क्लेम करने हेतु बैंक कार्यवाही प्रारम्भ करें.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>बी.सी. को उचित परिश्रमिक का भुगतान</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि BC को वर्तमान पारिश्रमिक के साथ अन्य कार्य यथा एनपीए वसूली, आधार कार्ड सीडिंग, सुरक्षा बीमा, कार्ड वितरण/ एक्टिवेशन, अटल पेंशन में नामाकंन आदि के लिए प्रोत्साहन राशि बैंकों द्वारा भुगतान की जा रही है तथा आगे भी नये कार्य दायित्वों का आवंटन कर अधिक प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के अवसर दिये जाने की पूर्ण संभावनाएं हैं.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बल्क आधार सीडिंग का प्रकरण वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु प्रेषित किया गया है एवं प्रकरण वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही हेतु विचाराधीन है.

(कार्यवाही: वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार)

आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding)- MNREGA

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आयुक्त ई.जी.एस., राजस्थान सरकार के अनुसार मनरेगा लाभार्थियों के खातों में आधार सीडिंग हेतु 13.55 लाख सहमति पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को भिजवाया जाना रिपोर्ट किया है. बैंकों से प्राप्त आंकड़ो के अनुसार दिनांक 10.03.2017 तक 2.15 लाख सहमति पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को प्राप्त हुए हैं एवं इन में से 1.75 लाख सहमति पत्रों को खातों में सीड किया जा चुका हैं.

आयुक्त ई.जी.एस., राजस्थान सरकार ने अवगत करवाया कि उनके विभाग ने सक्रिय मनरेगा लाभार्थियों के खातों में आधार सीडिंग हेतु 27.20 लाख सहमति पत्र बैंक शाखाओं को दिनांक 23.03.2017 तक भेजे हैं इन सहमति पत्रों को सुपुर्द करने की पावती भी उपलब्ध होना सूचित किया गया एवं जिला पाली में 28%, उदयपुर में 50%, चुरू में 34 % एवं बांसवाडा में 42% लाभार्थियों के खातों में आधार सीडिंग की गयी है, इन जिलों में शत-प्रतिशत आधार सीडिंग हेतु अधिक निगरानी रखने की आवश्यकता बतायी गयी.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सहमति पत्रों से संबन्धित बैंक शाखावार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आयुक्त ई.जी.एस. से अनुरोध किया तथा विभाग के आकड़ों में विद्यमान अंतर का समायोजन करने हेतु आग्रह किया गया एवं सुझाव दिया कि जिन जिलों में आधार सीडिंग प्रतिशत कम है उन जिलों के कुछ ब्लॉक को चिन्हित कर नमूने के तौर पर बैंक एवं विभाग के आकडों का विश्लेषण किया जाना चाहिए.

(कार्यवाही: आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान सरकार, एसएलबीसी एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा में इच्छुक कामगारों को आरसेटी/रुडसेटी संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा शेष बच रहे इच्छुक कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राज्य सरकार से मोबिलाईज करने एवं आरसेटी संस्थानों को उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया.

(कार्यवाही: आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान सरकार)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि चुरू जिले में रबी 2013-14 के बीमा क्लेम के प्रकरण के निस्तारण हेतु निदेशक, कृषि, द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 15.12.2016 में लिये गये निर्णय अनुसार क्लेम के अंतर की राशि रू 1.29 करोड़ का 50:50 प्रतिशत भुगतान आईसीआईसीआई लोम्बार्ड व पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर द्वारा भुगतान किया जाना तय हुआ परंतु आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने उक्त निर्णय की अनुपालना करने में

असमर्थता व्यक्त की है. एसबीबीजे शाखा चुरू ने अभी तक संशोधित घोषणा पत्र बीमा कंपनी को प्रस्तुत नहीँ किये है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ बीआरकेजीबी के चुरू जिले के संशोधित क्लेम का जल्दी निस्तारण करने के प्रकरण को कृषि विभाग राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया.

संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन में आश्वासन दिया कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को दिये गये निर्णय की अनुपालना विभाग के स्तर से करवायी जाएगी तथा बीआरकेजीबी व भारतीय स्टेट बैंक के लंबित मुद्दो का भी निस्तारण शीघ्र किया जायेगा.

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि अधिकांश बैंकों ने राज्य सरकार के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल पर रबी 2016-17 फसल बीमा के आंकड़े अपलोड किये हैं. दिनांक 27.03.2017 को SLCCCI की बैठक में प्रमुख शासन सचिव महोदया द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार विभाग से अनुरोध है कि बीमित किसानों की सूचना भारत सरकार के पोर्टल http://agri-insurance.gov.in पर शीघ्र अपलोड करवायें ताकि कृषि विभाग, भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना हो सके. साथ ही संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से बैंकवार बीमित कृषकों से संबन्धित डेटा भी एसएलबीसी को उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया ताकि बैंकों को कृषि विभाग, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार फोलियो प्रिंट करवाकर उपलब्ध करवाए जा सके. बीमित किसानों की बैंकवार संख्या की सूचना के अभाव में निविदा प्रक्रिया लंबित चल रही है.

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

अध्यक्ष, बीआरकेजीबी ने पुनः अनुरोध किया कि उनके बैंक द्वारा पूर्व वर्षों में कवर किये गये फसल बीमा के कमीशन का भुगतान बीमा कंपनी ने अभी भी नहीं किया है तथा कृषकों का आधिक्य प्रीमियम (Excess Premium) का भुगतान भी बीमा कंपनियों ने वापस नहीँ किया गया हैं. कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से पुनः अनुरोध किया कि संबन्धित बीमा कंपनी से कमीशन एवं प्रीमियम की अतिरिक्त राशि वापस दिलवायी जाये.

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने अवगत करवाया कि कुछ जिलों में किसानों का बीमा कवरेज अपेक्षा से कम हुआ है. उन्होने पुनः समिति में बैंकों को आश्वस्त किया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं बैंकों के द्वारा उठाये जा रहे विभिन्न मामलों में विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी तथा रबी 2016-17 मौसम में बीमित किसानों की सूचना भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु विभाग पूर्ण व्यवस्था कर रहा है एवं बैंकों से दोहरा कार्य

नहीँ करवाया जायेगा. उन्होने प्रसंगवश बतलाया कि रबी 2016-17 के बल्क डाटा अपलोड करने की तिथि भी 22.04.2017 तक बढ़ा दी गयी है.

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>स्वयं सहायता समूह एवं सरकार प्रायोजित योजनाओं में प्रगति</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि स्वयं सहायता समूह का बचत खाता खोलने तथा बैंक ऋण हेतु भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से अनुमोदित प्रारूप आवेदन किसी बैंक शाखा द्वारा नहीं अपनाये जाने की शिकायत एसएलबीसी स्तर पर रिपोर्ट नहीं की गई है. सदन की अनुमति से इस बिन्दु को कार्यसूची से हटाने की सहमति दी.

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 24.03.2017 तक एनआरएलएम योजना के अंतर्गत 15974 स्वयं सहायता समूह को 184.40 करोड़ रू का ऋण प्रदान किया गया है एवं विभिन्न बैंक शाखाओं में लंबित 342 ऋण आवेदनों को शीघ्र निस्तारण करने हेतु आग्रह किया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंकों में SGSY योजना के अनुदान की राशि लगभग 15 करोड़ रुपये बैंकों के पास खातों में अवशेष है एवं समस्त नियंत्रकों से पुनः अनुरोध किया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार को शीघ्र प्रस्तुत किये जायें एवं उनके अधीन शाखाओं से सरकार के खातों को चिन्हित कर राशि को वापस करवाने में सहयोग किया जाये.

शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार ने बताया कि SGSY योजना को बंद हुए लगभग चार वर्ष हो चुके हैं एवं SGSY अनुदान की राशि पिछले 4 वर्षों से बैंक शाखाओं में अवशेष पड़ी हुयी है तथा एसएलबीसी के अलावा विभाग से अनुवर्तन की कार्यवाही के पश्चात भी राज्य सरकार को उक्त राशि वापस नहीं लौटाई गई है. उन्होने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बैंकों के विरूद् कठोर निर्णय लेने की बात कही. NRLM योजना के अंतर्गत बीआरकेजीबी द्वारा लगभग 3000 एसएचजी को ऋण प्रदान किये जाने की सराहना की एवं उन्होने आश्वासन दिया कि ग्रामीण बैंक को सरकारी जमाएं उपलब्ध करवाने हेतु जिला कलेक्टर एवं संबधित अधिकारी को निर्देशित किया जायेगा तथा NRLM योजना के अंतर्गत जिन बैंकों की प्रगति आशानुरूप नहीं है उन बैंकों से सरकारी जमाएं वापस भी ली जाने की कार्यवाही की जायेगी.

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं भामाशाह रोजगार सृजन योजना

आयुक्त, उद्योग एवं शासन सचिव सी.एस.आर. राजस्थान सरकार ने बताया कि पीएमईजीपी योजना के तहत ईडीपी प्रशिक्षण ऋण वितरण करने के एक माह के अंदर करवा सकते हैं एवं यह विशेष छूट केवल वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ही लागू है तथा आगामी सालों के लिए उपलब्ध नहीं होगी. आरसेटी संस्थानों द्वारा बड़ी संख्या में पीएमईजीपी योजना के लाभान्वितों को प्रशिक्षण की तैयारी करने की सलाह भी दी. उन्होने बैंकों के स्तर से काफी अधिक ऋण आवेदन पत्र अस्वीकृत/लौटाये जाने पर चिंता व्यक्त की.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान एवं आरसेटी)

सहायक निदेशक, केवीआईसी, भारत सरकार, जयपुर ने अवगत करवाया कि दिनांक 20 जनवरी, 2017 तक केवल 20 लाख रूपये के मार्जिन मनी क्लेम पोर्टल पर प्रस्तुत किये गये थे तथा दिनांक 27 मार्च 2017 तक 43 करोड़ रू की मार्जिन मनी स्वीकृति एवं 21 करोड़ रू की मार्जिन मनी क्लेम की जा चुकी है जो इतने कम समय में अविश्वसनीय है. यह केवल बैंकों के अथक प्रयासों से ही संभव हो पाया है. अति मुख्य सचिव, एमएसएमई, राजस्थान सरकार के स्तर से भी काफी प्रयास/फॉलोअप करने का प्रतिफल है. बैंकों से उन्होने अनुरोध किया कि जिन ऋण आवेदन पत्रों को स्वीकृत किया जा चुका हैं उनमें 31 मार्च 2017 से पहले पोर्टल पर मार्जिन मनी क्लेम प्रस्तुत कर दें.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि डीटीएफ़सी में आवेदन पत्र केवल उपलब्ध सूचना के आधार पर अनुमोदन किया जा रहा है. आवेदक से व्यक्तिश: साक्षात्कार नहीं किया जा रहा हैं अतः आवेदक के व्यक्तिश: उपस्थित होकर साक्षात्कार लिए जाने की व्यवस्था को दुबारा लागू करने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया जिससे बैंक द्वारा ऋण आवेदन पत्र अस्वीकृत/लौटाने की दर में कमी आयेगी. साथ ही बताया कि सामान्यतया ऋण आवेदन पत्र की रिजेक्शन दर के मुख्य कारण बैंक के सर्विस एरिया से बाहर के ऋण आवेदन पत्र होना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट व वित्तीय प्रपत्र संलग्न नहीं होना, प्रस्तावित कार्य का अनुभव नहीं होना एवं आवेदक की वित्तीय स्टेटमेंट संलग्न नहीं होना इत्यादि होता हैं. ऋण आवेदनों के अस्वीकृत/लौटाने के कारणों के सारांश का आगामी एसएलबीसी की उप समिति की बैठक में चर्चा हेतु रखा जायेगा. इस संबंध में सभी प्राधिकरणों से अनुरोध किया कि वे कारणों का विश्लेषण कर सारांश एसएलबीसी को दिनांक 25.04.2017 तक उपलब्ध करवायें.

(कार्यवाही: केवीसीआई, केवीआईबी एवं डीआईसी)

उपनिदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY) राज्य के लक्ष्य 11000 ईकाई को वित्तपोषण करने के रखे गए थे एवं जिसके पेटे 13000 आवेदन पत्र विभाग द्वारा प्रायोजित कर बैंकों को भेजे गये हैं जिसमें से केवल 5165 आवेदन पत्रों में ही ऋण वितरण की कार्यवाही की गई है तथा लगभग 9000 आवेदन पत्र बैंक शाखाओं में अभी भी लंबित हैं जिसमें एसबीआई, बीओबी, एसबीबीजे, पीएनबी, बीआरकेजीबी एवं आरएमजीबी प्रमुख हैं तथा जिसकी सूचना पूर्व में एसएलबीसी के द्वारा सभी बैंकों को उपलब्ध करवा दी गई है. उन्होनें अनुरोध किया कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति में कुछ ही दिन शेष हैं. अतः इन शेष रहे दिनों में प्रयासों में तेजी लाते हुए ऋण स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही करावें एवं मुद्रा ऋण योजना के तहत ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट को प्रदत्त ऋणों को बीआरएसवाई योजना के तहत ब्याज अनुदान हेतु लाभान्वित किया जा सकता है एवं इसकी सूचना भी जिला उद्योग केन्द्रों को उपलब्ध कराने का आग्रह किया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैंको से आग्रह किया कि 31 मार्च 2017 से पहले सभी सरकार द्वारा प्रायोजित योजनान्तर्गत सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 24.02.2017 तक राज्य के सभी बैकों ने कुल एक्टिव बचत खातों में 59% आधार सीडिंग एवं 77% मोबाईल न. सीडिंग कर ली है एवं दिनांक 28.02.2017 तक राज्य में पीएमजेडीवाई (PMJDY) खातों में RUPAY कार्ड एक्टिवेशन 51.83% तथा आधार सीडिंग 71.55% हो चुका है. वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 31.03.2017 तक सभी एक्टिव बचत खातों में 100% आधार व मोबोईल सीडिंग का कार्य पूर्ण किया जाना है. इस हेतु सभी बैंकों से अनुरोध किया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्ययोजना पर बैंक कार्य करें. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY एवं PMJJBY में बीमा कंपनियों के पास 148 क्लेम विचाराधीन हैं. संबन्धित बीमा कंपनियों से अनुरोध किया कि उक्त दावों का भी शीघ्र निस्तारण करावें.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक राजस्थान एवं बीमा कंपनी)

मुद्रा एवं स्टेण्ड अप इण्डिया योजना (PMMY/SUI)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 28.02.2017 तक स्टेण्ड अप-इण्डिया योजना के तहत कुल लक्ष्यों के सापेक्ष मात्र 1066 उद्यमियों को ही ऋण स्वीकृत किये गये हैं. योजनान्तर्गत प्रगति काफी कम है तथा बैंकों के स्तर से अधिक प्रयासों की आवश्यकता है. दिनांक 10.03.2017 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 4950 लाख रू लक्ष्य के सापेक्ष में 4373 लाख रू के ऋण वितरण किये गए हैं एवं लक्ष्यों के सापेक्ष 88.33% की उपलब्धि रही. 31 मार्च 2017 तक बैंकों द्वारा 100% लक्ष्यों को प्राप्त करने का विश्वास व्यक्त किया गया.

महाप्रबंधक, सिडबी ने बताया कि राज्य में मुद्रा योजना की प्रगति बहुत अच्छी है जिसके लिए बैंक बधाई के पात्र हैं. स्टेण्ड अप-इण्डिया योजना के तहत निराशाजनक प्रगति के लिए चिंता व्यक्त करते हुए विशेषकर इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओबीसी, सिंडीकेट बैंक, यूनियन बैंक, देना बैंक, आईडीबीआई बैंक एवं इंडसइंड बैंक की खराब प्रगति में सुधार की आवश्यकता दोहरायी. नाबार्ड द्वारा विकसित ईको सिस्टम के अंतर्गत अगर किसी बैंक को स्टेण्ड अप-इण्डिया योजना के तहत किसी प्रकार के सहयोग के लिए सिड्बी तथा नाबार्ड से संपर्क किया जा सकता हैं.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि ने बताया कि स्टेण्ड अप इण्डिया योजना की प्रभावी क्रियान्विति हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के गठन के आदेश राज्य सरकार ने दिनांक 22.08.2016 को जारी कर दिये हैं। समिति में सदस्य के रूप में दो विधायकों जिनमें एक अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति श्रेणी एवं एक महिला का नाम मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा नामित किया जाना प्रतीक्षित है। राज्य सरकार से अनुरोध किया कि विधायकों का नामांकन शीघ्र करवाया जाएं ताकि समिति की प्रथम बैठक की जा सके.

(कार्यवाही: संस्थागत वित्त विभाग, राजस्थान सरकार)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने स्टेण्ड अप-इण्डिया योजना के पोर्टल पर सभी बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक के द्वारा नियमित लॉगिन करने के संबंध में अनुरोध किया एवं इस संबंध में बैंक नियंत्रक अपनी शाखाओं/कार्यालयों को समुचित रूप से नियमित लॉगिन एवं आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु पुनः मार्ग-दर्शन प्रदान करें.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान एवं समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक, राजस्थान)

अटल पेंशन योजना (APY)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि PFRDA द्वारा दिये गए अटल पेंशन योजना के तहत कुल लक्ष्य 457840 के सापेक्ष 189146 उपलब्धि रही है जो लक्ष्य का 41.31% हैं. समस्त बैंकों से पुनः अनुरोध किया कि इस ओर अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है. उन्होने 08-02-2017 से 15-02-2017 तक PFRDA द्वारा चलाये गये अटल पेंशन योजना के SLBC Leadership Excellence Week में पूरे भारत वर्ष में एसएलबीसी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान एवं **एसएलबीसी राजस्थान का दूसरा स्थान** रहा जिसके लिए सभी बैंक एवं एसएलबीसी टीम बधाई के पात्र हैं.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

Withdrawal of legal tender of Rs. 500 and Rs. 1000 notes

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि SBI एवं SBBJ की करेंसी चेस्ट शाखाओं के साथ संबद्ध अन्य बैंकों की शाखाओं को पर्याप्त मात्रा में नगदी उपलब्ध करवाई जा रही है एवं मनरेगा लाभार्थियों एवं आम जनता को भी नगदी आसानी से उपलब्ध हो रही है. उक्त दोनों बिन्दुओं को सदन की सहमति से कार्यवाही रिपोर्ट से हटाये जाने पर सहमति प्राप्त की.

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 16.03.2017 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति बैठक में सभी बैकों को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना के तहत लंबित ऋण आवेदनों को 24.03.2017 तक निस्तारित करने का अनुरोध किया गया. विभाग से अनुरोध है कि योजना की प्रगति की नियमित अनुवर्तन हेतु बैंक/शाखावार सूचना एक्सल (EXCEL) फाईल में नियमित रूप से एसएलबीसी को उपलब्ध करवाए.

(कार्यवाही: स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-CLSS)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बैंको ने दिनांक 31.12.2016 तक 578 व्यक्तियों को 4325 लाख रू का ऋण वितरित किया गया है जिनमें एनएचबी से CLSS उपलब्ध करवाया जाना है तथा 153 व्यक्तियों को 466 लाख रू का ऋण वितरित किया हैं जिनमें हुड़को से CLSS उपलब्ध करवाया जाना है.

उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सीएलएसएस में 4 वर्टिकल बनाये गये हैं जिसको आय के आधार पर बांटा गया हैं जिन लाभार्थियों की आय 3 लाख तक, 6 लाख तक, 12 लाख तक एवं 18 लाख रू तक हैं उनको क्रमशः ईडबल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी 1 एवं एमआईजी 2 के रूप में लाभान्वित किया जाएगा एवं एकमुश्त ब्याज अनुदान निम्न श्रेणी को 6% एवं उच्च श्रेणी को 3% मिलेगा. आवास ऋण प्रदान करवाने वाली सभी वित्तीय संस्थानों को कवर किया है एवं राजस्थान में अब तक 300 इकाइयों को 3.14 करोड़ रू का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया है जो अपेक्षाओं से काफी कम है. उन्होने आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना के तहत लाभान्वित करने का प्रयास होना चाहिए. उन्होने EWS एवं LIG में प्रोसेससिंग फीस 1000 रू से 3000 रू कर दिये जाने की भी जानकारी दी.

क्षेत्रीय प्रमुख हुड़को ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सीएलएसएस में राजस्थान में अब तक 131 इकाइयों को 1.05 करोड़ रू के ब्याज अनुदान से लाभान्वित किया जा चुका है एवं आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना के तहत लाभान्वित करने का प्रयास करें.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि बैंक ऑनलाइन ही कृषि भूमि रहननामा के पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेंगें एवं रजिस्ट्रार कार्यालय पंजीयन कर रहननामा बैंकों को बिना मानवीय हस्तक्षेप के अधिकतम 7 दिनों में प्रेषित करेंगें. इस संबंध में कृषि भूमि रहननामा के ऑनलाइन पंजीयन का पायलट क्रियांवयन उनियारा ब्लॉक जिला टोंक में सफलता पूर्वक किया जा चुका है.

महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक ने बैंकों से आग्रह किया कि उनकी बैंक शाखाओं की यूजर आईडी सृजित करवाने हेतु सबंधित जिले के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को आवेदन भिजवाएं ताकि इस कार्य को पूर्ण किया जा सके.

(कार्यवाही: पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>एजेण्डा क्रमांक - 2</u>

शाखा विस्तार: 31 दिसंबर 2016 तक राज्य में कुल 7426 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही तक बैंकों द्वारा कुल 140 शाखाएं खोली गयी हैं.

जमाएँ व अग्रिम: 31 दिसंबर 2016 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 34.25% के साथ कुल जमाएँ रूपये 3,66,384 करोड़ तथा कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष ऋणात्मक वृद्धि 9.29% के साथ कुल ऋण रूपये 2,24,138 करोड़ रहे हैं. जमाओं में सहकारी बैंकों की YoY वृद्धि मात्र 3.93% रही तथा अग्रिमों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में YOY वृद्धि 12.07% रही तथा वाणिज्यिक एवं को-ऑपरेटिव बैंकों के अग्रिमों में YOY नकारात्मक वृद्धि क्रमशः 10.94% एवं 3.92% रही.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 31 दिसम्बर 2016 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.26% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 1,54,992 करोड़ रू रहा है.

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 31 दिसम्बर 2016 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 8.10% के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 85,166 करोड़ रहा है.

सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण: 31 दिसम्बर 2016 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 15.37% के साथ सूक्ष्म व लघु उपक्रम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 69,826 करोड़ रहा है.

कमजोर वर्ग को ऋण: 31 दिसम्बर 2016 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 15.98% के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 50,808 करोड़ रहा है.

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 31 दिसम्बर 2016 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.86% के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 12,667 करोड़ रहा है.

राज्य में **कुल अग्रिमों** का **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** को अग्रिम 69.15%, **कृषि क्षेत्र** को 37.98%, कमजोर वर्ग को 22.67%, **लघु एवं सूक्ष्म कृषकों** को 16.22 % तथा **सूक्ष्म उपक्रमों** को 10.76% रहा है. उपरोक्त सभी मानदण्डों में बकाया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंचमार्क से ऊपर रहे हैं.

आयुक्त, उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर, राजस्थान सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री टास्क फोर्स कमिटी ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमों को बकाया ऋणों में एक निश्चित वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य रखे हैं तथा उन्होने सुझाव दिया कि इन पैरामीटर्स की समीक्षा हेतु अलग से कार्यसूची एसएलबीसी की आगामी बैठक में रखी जाना चाहिए.

(कार्यवाही: एसएलबीसी, राजस्थान)

मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक ने अवगत करवाया कि उक्त कार्यसूची बिन्दु पर भारतीय रिजर्व बैंक की एमएसएमई की साधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee) की त्रैमासिक बैठक में समीक्षा की जाती है.

साख जमा अनुपात (CD Ratio): 31 दिसम्बर 2016 को राज्य में साख जमा अनुपात 62.85% रहा है. डुंगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही में CD Ratio क्रमशः 30.71%, 33.77% एवं 36.91% रहा है जो निर्धारित बेंच मार्क 40% से कम रहा है.

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि राजसमंद एवं सिरोही जिले में CD Ratio 40% से कम होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार DCC की विशेष उप समिति का गठन किया जाना आवश्यक है जिसके संयोजक अग्रणी जिला प्रबन्धक होंगे एवं जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि, RBI के LDO, नाबार्ड के DDM, जिला आयोजना अधिकारी इत्यादि सदस्य होंगे जिनके द्वारा जिले में साख जमा अनुपात में वृद्धि हेतु कार्ययोजना बनाकर उसकी अनुवर्ती समीक्षा की जाएगी. समिति के गठन हेतु एसएलबीसी द्वारा अग्रणी जिला प्रबन्धक, राजसमंद एवं सिरोही को सूचित करवाया जाएगा. डूंगरपुर जिलें में DCC की विशेष उप समिति गठन हो चुका हैं.

(कार्यवाही: एसएलबीसी, राजस्थान एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक, राजसमंद एवं सिरोही राजस्थान)

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वर्ष 2016-17 हेतु वार्षिक साख योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में तीसरी तिमाही तक की उपलब्धि 50.64% रही है. कृषि में 45.06%, सूक्ष्म व लघु उघम क्षेत्र में 94.75% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 21.87% की उपलब्धि दर्ज की गई है एवं वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष तीसरी तिमाही तक वाणिज्यिक बैंकों ने 58%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 44% तथा को-ऑपरेटिव बैंक ने 33% की उपलब्धि दर्ज की है.

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लक्ष्य प्राप्ति की धीमी गति को देखते हुए समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि वे अपनी शाखाओं को वार्षिक साख योजना के लक्ष्य प्राप्ति हेतु अभिप्रेरित करें.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को नजदीकी राज्य गुजरात, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के 31 दिसम्बर 2016 के साख जमा अनुपात (CD Ratio), वार्षिक साख योजना में उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये. तुलनात्मक आंकड़ों में राजस्थान राज्य की प्रगति को संतोषप्रद पाया गया.

एजेण्डा क्रमांक - 3

Preparation of Financial Inclusion Plan (FIP) - 2016-19

बैंक ऑफ बड़ौदा, धनलक्ष्मी बैंक, आईडीबीआई बैंक, एस.बी.बी.जे., यूनियन बैंक, BRKGB, RMGB, HDFC, नैनीताल बैंक के अलावा अन्य बैंकों ने RBI के दिशानिर्देशानुसार बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन प्लान "अप्रेल 2016 से मार्च 2019" लागातार अनुवर्तन के उपरांत भी एस.एल.बी.सी. को प्रस्तुत नहीं किया है. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों से अविलंब बोर्ड अनुमोदित प्लान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

Roadmap for coverage of villages having population above 5000 (As per census 2011)

समिति को 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गॉवों को कवर करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करवाते हुए एस.एल.बी.सी. द्वारा चिन्हित -171- बैंक रहित गॉव बैंकों को आवंटित कर समग्र रोडमैप भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने की जानकारी दी.

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने दिसम्बर 2016 तिमाही तक रोड़मैप के अंतर्गत 15 नयी बैंक शाखाएं खोलने से सूचित करते हुए शेष शाखाओं को खोलने की आवश्यक कार्यवाही हेतु बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया.

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने PMJDY के संदर्भ में जानकारी दी कि राज्य में 28 फरवरी 2017 तक RUPAY कार्ड एक्टिवेशन 52.39% तथा आधार सीडिंग 71.59% हुए है. भारत सरकार की 100% खातों में आधार सीडिंग एवं कार्ड एक्टिवेशन की पहल को ध्यान में रख दोनों पैरामीटर में ज्यादा प्रयासों की आवश्यकता जतायी. सामाजिक सुरक्षा स्कीम के संदर्भ में तीनों योजनाओं में 58 लाख से अधिक ग्राहकों को शामिल किया गया है. PMSBY एवं PMJJBY में अभी तक 4532 क्लेम हुए हैं जिनमें से 4071 क्लेम भुगतान किये जा चुके हैं तथा 148 दावे प्रक्रियाधीन हैं. बैंकों से अनुरोध किया कि सभी पात्र खाता धारकों को इन योजनाओं में शामिल किया जाएं एवं लंबित दावों का शीघ्र निस्तारण हेतु बीमा कंपनियों से आग्रह किया.

Spread of Financial Literacy in ITIs, Skilling Centre

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समग्र वित्तीय समावेशन को आगे ले जाने के लिए वित्तीय साक्षरता की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बतलाया कि वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (FLCs) एवं बैंक शाखाओं के माध्यम से सरकारी व गैर सरकारी ITIs, वोकेशनल ट्रेनिंग कार्यक्रम केंद्र (VTPs) और ऑपरेशनल केंद्र (OCs) जैसे कौशल विकास केन्द्रों में वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने पर जोर दिया जा रहा है. अभी तक 958 केन्द्रों में 59494 विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता से लाभान्वित कर 57836 विद्यार्थियों को साक्षरता सामग्री उपलब्ध करवाए जाने की जानकारी दी.

NABARD Guidelines Installation of regarding Solar powered V-SAT for connectivity to Kiosk/ Fixed CSP in the SSA- Support under FIF

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि कनेक्टिविटी की समस्या के समाधान हेतु सौर उर्जा चालित वी-सैट (V-SAT) स्थापित करने के लिए 6 बैंकों को नाबार्ड से वित्तीय सहायता की सैद्धांतिक मंजूरी/स्वीकृति दी गयी है एवं इस संबंध में बैंकों से अनुरोध किया कि वी-सेट स्थापित कर राशि के पुनर्भरण हेतु दावा नाबार्ड को प्रस्तुत करें तथा इस हेतु वांछित प्रमाण पत्र एसएलबीसी से पूर्व में प्राप्त कर लें.

(कार्यवाही: संबन्धित नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

To initiate the financial literacy programme for school children, with a special focus on female students of class 9 and 10 in the state

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत 4939 विद्यालयों का मानचित्रण (Mapping) कर 3014 विद्यालयों में साक्षरता कार्यक्रम किये गये हैं. इन कार्यक्रमों में 216995 विद्यार्थियों ने भाग लिया है तथा 201754 विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता सामग्री भी उपलब्ध करवायी गयी है.

Support from Financial Inclusion Fund (FIF) Deployment of PoS Terminals in Tier 5 and Tier 6 Centres

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के तहत राज्य में 10000 से कम आबादी वाले गावों में कम से कम 2 PoS मशीन की स्थापना करनी है तथा POS की लागत में से अधिकतम 6000 रू तक का पुनर्भरण नाबार्ड द्वारा किया जाएगा. इस संबंध में 11 बैंकों को 1917 गांवों में 3834

PoS मशीनों की स्थापना के लिए नाबार्ड ने 2.30 करोड़ रू की सैद्धांतिक मंजूरी दी है. कुछ बैंकों के प्रधान कार्यालय द्वारा नाबार्ड को सीधे क्लेम प्रस्तुत किए हैं, उनकी सूचना नाबार्ड को उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया.

(कार्यवाही: क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, राजस्थान)

Installation of ATMs at Gram Panchayat level

सहायक महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि अतिरिक्त निदेशक, संचार एवं प्रद्योगिकी, राजस्थान सरकार के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर एटीएम स्थापना करने पर राज्य सरकार द्वारा अपफ्रंट लागत (upfront cost) साझा करने के प्रस्ताव के संबंध में केवल आईसीआईसीआई बैंक ने पहल की है तथा अन्य सभी बैंकों से भी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

बैंक शाखा खोलने हेतु बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2016-17

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में माननीया मुख्यमंत्री ने 500 शाखाएं खोलने की बजट घोषणा की है तथा शाखा विस्तार कार्यक्रम में बैंकों ने वर्ष 2016-17 में 353 शाखाएं खोलने का ही रोड़मेप प्रस्तुत किया है जो आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार को भी प्रेषित कर दिया गया है तथा दिनांक 31.12.2016 तक बैंकों ने राज्य में 140 शाखाएं खोली हैं. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत खोले जाने वाली शाखाओं तथा रोडमेप के स्थानों का मानचित्रण करने का आग्रह भी किया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

Constitution of State Level Financial Inclusion Committee (SLFIC)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया गया कि वित्तीय समावेशन योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (PMJJBY), अटल पेंशन योजना (APY), तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के कार्यान्वयन/ मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तरीय वित्तीय समावेशन समिति (SLFIC) का गठन किया गया है, जिसकी प्रथम बैठक दिनांक 23.05.2016, द्वितीय बैठक दिनांक 08.08.2016 एवं तृतीय बैठक 29.12.2016 को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई हैं. उक्त बैठकों में मुख्य सचिव के सुझावों से सभी

बैंक नियंत्रकों को अवगत करवा दिया है. मार्च 2017 तिमाही की बैठक शीघ्र आयोजित करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया.

(कार्यवाही: संस्थागत वित्त विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति - आरसेटी</u>

समिति को अवगत करवाया गया कि राज्य स्तरीय समिति, आरसेटी का गठन किया जा चुका है तथा प्रथम बैठक दिनांक 08.08.2016 को शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में की गयी हैं जिसके कार्यवृत एसएलबीसी की 130 वीं बैठक के टेबल एजेंडा में समिति को प्रस्तुत किये गए हैं.

<u>स्टेण्ड अप इण्डिया योजना की राज्य स्तरीय कार्यन्वयन समिति का गठन</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा बताया गया कि स्टेण्ड अप इण्डिया योजना के प्रभावी क्रियान्विति हेतु राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति के गठन के आदेश राज्य सरकार ने दिनांक 22.08.2016 को जारी कर दिये हैं. समिति के सदस्य के रूप में दो विधायकों जिनमें एक अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति श्रेणी एवं एक महिला सदस्य के नामांकन हेतु पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर विचाराधीन है.

<u>Incentivising Digital Payments: Digi Dhan Mela</u>

सहायक महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने हेतु देश में विभिन्न स्थानों पर डिजि धन मेला आयोजित करने के निर्देश प्रदान किये हैं. इस क्रम में राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर 7 डिजि धन मेला आयोजित किये गये हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा एवं बीआरकेजीबी ने बैंक स्तर से भी डिजि धन मेलों का आयोजन किया है. डिजि धन मेले मे खातों में आधार एवं मोबाईल नम्बर सीडिंग, बैंक खाते खोलना, PoS रजिस्ट्रेशन, AEPS लेनदेन, रूपे कार्ड एवं प्रीपैड कार्ड का वितरण, USSD एवं BHIM ऐप की जानकारी दी गयी तथा उपरोक्त कार्यों के लिए बैंक मित्रों को जोड़ने का कार्य भी किया गया.

<u>Withdrawal of legal tender status Rs. 500 and Rs.1000 notes</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि SBI एवं SBBJ की करेंसी चेस्ट शाखाओं के साथ संबद्ध अन्य बैंकों की शाखाओं को पर्याप्त मात्रा में नगदी उपलब्ध करवाई जा रही है एवं मनरेगा लाभार्थियों एवं आम जनता को भी नगदी आसानी से उपलब्ध हो रही हैं.

उक्त दोनों बिन्दुओं को सदन की सहमति से कार्यवाही रिपोर्ट से हटाये जाने पर सहमति प्राप्त की.

अटल पेंशन योजना (APY)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि PFRDA द्वारा दिये गए अटल पेंशन योजना के तहत कुल लक्ष्य 457840 के सापेक्ष में 189146 उपलब्धि रही है जो लक्ष्य का 41.31% है. समस्त बैंकों से पुनः अनुरोध किया कि इस ओर अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है. उन्होने 08-02-2017 से 15-02-2017 तक PFRDA द्वारा चलाये गये अटल पेंशन योजना के SLBC Leadership Excellence Week में पूरे भारत वर्ष में एसएलबीसी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान एवं एसएलबीसी राजस्थान का दूसरा स्थान रहा जिसके लिए सभी बैंक एवं एसएलबीसी टीम बधाई के पात्र हैं.

Petroleum Retails outlets not having PoS

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया गया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में 1760 पेट्रोल आउटलेट्स को प्राथमिकता से PoS मशीन उपलब्ध करवाने हेतु सभी बैंकों को सूची उपलब्ध करवाकर अनुरोध किया गया है. बैंकों से प्रेषित सूची के संदर्भ में चाही गयी सूचना प्रतीक्षित है.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

Aahdar seeding in beneficiaries bank accounts of MGNREGA

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आयुक्त ई.जी.एस., राजस्थान सरकार के अनुसार मनरेगा लाभार्थियों के खातों में आधार सीडिंग हेतु 13.55 लाख सहमति पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को भिजवाया जाना रिपोर्ट किया है. बैंकों से प्राप्त आंकड़ो के अनुसार दिनांक 10.03.2017 तक 2.15 लाख सहमति पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को प्राप्त हुए हैं एवं इन में से 1.75 लाख सहमति पत्रों को खातों में सीड किया जा चुका है.

Agenda No. 4
Doubling of Farmer's Income by 2022

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने समिति को बतलाया कि कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने की माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा की अनुपालना में 10 कार्यवाही बिन्दु एसएलबीसी एवं कृषि विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित किये गए हैं.

महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि इस प्रयोजन हेतु नाबार्ड द्वारा बेंचमार्क तय कर बैंकों एवं एसएलबीसी को प्रेषित कर दिये गए हैं एवं आगामी एसएलबीसी बैठक में बेंचमार्क पर हुयी प्रगति की समीक्षा की जाएगी.

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त बेंचमार्क पर नाबार्ड, कृषि विभाग एवं बैंक सहित अन्य संबन्धित विभाग समग्र कार्ययोजना तैयार करें जिसके क्रियान्वयन से कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने में सफल हो सकें.

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)</u>

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2016-17 के पोर्टल पर अद्यतन स्थिति निम्नलिखित हैं :-

- KCC वार सृजित पॉलिसी -11,77,813
- फसलवार सृजित पॉलिसी - 21,21,763
- बीमित क्षेत्र - 18.38 लाख हेक्टेयर
- बीमित फसल बीमा राशि - 4,636.93 करोड़ रू

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि चुरू जिले में रबी 2013-14 के बीमा क्लेम के प्रकरण के निस्तारण हेतु निदेशक, कृषि, द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 15.12.2016 में लिये गये निर्णय अनुसार क्लेम के अंतर की राशि रू 1.29 करोड़ का 50:50 प्रतिशत भुगतान आईसीआईसीआई लोम्बार्ड व पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर द्वारा भुगतान किया जाना तय हुआ परंतु आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने उक्त निर्णय की अनुपालना करने में असमर्थता व्यक्त की है. एसबीबीजे शाखा चुरू ने अभी तक संशोधित घोषणा पत्र बीमा कंपनी को प्रस्तुत नहीँ किये है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ बीआरकेजीबी के चुरू जिले के संशोधित क्लेम का जल्दी निस्तारण करने के प्रकरण को कृषि विभाग राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया.

संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन में आश्वासन दिया कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को दिये गये निर्णय की अनुपालना विभाग के स्तर से करवायी जाएगी तथा बीआरकेजीबी व भारतीय स्टेट बैंक के लंबित मुद्दो का भी निस्तारण शीघ्र किया जायेगा.

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि अधिकांश बैंकों ने राज्य सरकार के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल पर रबी 2016-17 फसल बीमा के आंकड़े अपलोड किये है. दिनांक 27.03.2017 को SLCCCI की बैठक में प्रमुख शासन सचिव महोदया

द्वारा दिये गए निर्देशों के अंतर्गत विभाग से अनुरोध है कि बीमित किसानों की सूचना भारत सरकार के पोर्टल http://agri-insurance.gov.in पर शीघ्र अपलोड करवायें ताकि कृषि विभाग, भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना हो सके. साथ ही संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से बैंकवार बीमित कृषकों से संबन्धित डेटा भी एसएलबीसी को उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया ताकि बैंकों को कृषि विभाग, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार फोलियो प्रिंट करवाकर उपलब्ध करवाए जा सके. बीमित किसानों की बैंकवार संख्या की सूचना के अभाव में निविदा प्रक्रिया लंबित चल रही है.

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

अध्यक्ष, बीआरकेजीबी ने पुनः अनुरोध किया कि उनके बैंक द्वारा पूर्व वर्षों में किये गये फसल बीमा के कमीशन का भुगतान बीमा कंपनी ने अभी भी नहीं किया है तथा कृषकों का आधिक्य प्रीमियम (Excess Premium) का भुगतान भी बीमा कंपनियों ने वापस नहीँ किया गया है. कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से पुनः अनुरोध किया कि संबन्धित बीमा कंपनी से कमीशन एवं प्रीमियम की अतिरिक्त राशि वापस दिलवायी जाये.

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने अवगत करवाया कि कुछ जिलों में किसानों का बीमा कवरेज अपेक्षा से कम हुआ है. उन्होने पुनः समिति में बैंकों को आश्वस्त किया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं बैंकों के द्वारा उठाये जा रहे विभिन्न मामलों में विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी तथा रबी 2016-17 मौसम में बीमित किसानों की सूचना भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु विभाग पूर्ण व्यवस्था कर रहा है एवं बैंकों से दोहरा कार्य नहीँ करवाया जायेगा. उन्होने प्रसंगवश बतलाया कि रबी 2016-17 के बल्क डाटा अपलोड करने की तिथि भी 22.04.2017 तक बढ़ा दी गयी है.

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

संयुक्त निदेशक, कृषि ने एसबीबीजे से आग्रह किया कि संशोधित घोषणा पत्र आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को अविलंब प्रस्तुत करें.

(कार्यवाही: कृषि विभाग एवं एसबीबीजे बैंक राजस्थान)

<u>Strengthening of Negotiable Warehouse Reciepts (NWRs) by WDRA</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि NWR के पेटे बैंकों ने दिसम्बर 2016 तिमाही में 93.86 करोड़ रुपए का वितरण किया है एवं तिमाही के अन्त में 115.57 करोड़ रुपए बकाया है.

वसूली (Recovery)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि दिसम्बर 2016 तिमाही तक सभी बैंकों का कुल NPA 3.00% रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 3.48% एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में 7.56% सकल NPA है एवं बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियों विशेषकर कृषि एवं सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के ऋणों में लगातार हो रही वृद्धि की दशा में राज्य सरकार से बैंक ऋण वसूली हेतु समुचित सहयोग हेतु अनुरोध भी किया गया.

बैकों के लिए तेजी से बढ़ता हुआ NPA चिंता का विषय है एवं प्रायोजित कार्यक्रमों में सरकार से वसूली में सहयोग की अपेक्षा की जाती है एवं सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत प्रदत्त ऋणों को राजकीय बकाया (Govt. Dues) की श्रेणी में वर्गीकृत करने हेतु राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1952 में संशोधन करने के सम्बन्ध में बैकों के लम्बे समय से किये जा रहे अनुरोध पर पुन: विचार करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया ताकि आगे नये ऋण देने में बैकों को प्रोत्साहन मिल सकें.

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य सरकार से राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई का निवारण) अधिनियम, 1974 एवं राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाई एवं निवारण) नियम (रोडा एक्ट), 1976 के प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर्स को राजस्व कर्मचारियों के सहयोग से बकाया बैंक ऋणों की वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने का पुनः अनुरोध किया.

एजेण्डा क्रमांक - 5
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि दिसम्बर 2016 तिमाही तक योजना के तहत 58839 SHGs गठित किए गये हैं तथा 46587 SHGs को बैंक लिंकेज व 20876 SHGs को क्रेडिट लिंकेज किया जा चुका है. इसी क्रम में पिछड़े जिलों यथा बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं झालावाड़ में 7365 SHGs गठित किए गये हैं तथा 7336 SHGs को बैंक लिंकेज व 4271 SHGs को क्रेडिट लिंकेज किया गया है ।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)** वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत राज्य में 2953 को लाभान्वितों को ऋण उपलब्ध

करवाया गया है एवं 7625 लंबित आवेदन पत्रों को अविलंब निस्तारित करने हेतु बैंकों से आग्रह किया गया.

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि केवीआईसी ने RRBs को योजना में मार्जिन मनी के क्लेम हेतु पीएमईजीपी पोर्टल पर शाखावार आईएफ़एससी कोड सृजित करने की आवश्यकता बतलायी परन्तु ग्रामीण बैंकों का पक्ष हैं कि शाखावर IFSC code उनके लिए काफी लागत वाला व तकनीकी मामला है तथा PMEGP के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है.

सहायक निदेशक, केवीआईसी ने अवगत करवाया कि RRBs से संबन्धित प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है तथा अलग-अलग शाखावार कोड बैंकों को दे दिये गए हैं. उन्होने पीएमईजीपी के स्वीकृत प्रकरणों में मार्जिन मनी क्लेम करने हेतु बैंकों से अनुरोध किया.

<u>Special Central Assistance Scheme SC/ST</u>

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति से आग्रह किया कि योजना के 29088 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 6777 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 23.30% उपलब्धि है. सभी बैंकों से अपने लक्ष्य को पूरा करने का आग्रह किया गया.

महाप्रबंधक, अनुजा निगम, राजस्थान सरकार द्वारा बैंकों से आग्रह किया कि लक्ष्यों को पूरा करने की कार्यवाही करें एवं ऋण प्रार्थियों को समुचित आवश्यकतानुसार ऋण प्रदान करने का प्रयास किया जाना चाहिए.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि मुद्रा योजना में वित्तीय वर्ष 2016 -17 के लक्ष्य 4950 करोड़ रू के सापेक्ष 10 मार्च 2017 तक 4373 करोड़ रू के ऋण बैंकों ने वितरण कर दिये हैं तथा मार्च 2017 तिमाही की समाप्ति से पूर्व शत प्रतिशत उपलब्धि की आशा व्यक्त की.

Credit Assistance given to RSETI trainees under MUDRA Scheme

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैंकों के पास प्रशिक्षित कर्मियों के 4326 विचाराधीन ऋण आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया.

भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY)

उपनिदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY) राज्य के लक्ष्य 11000 ईकाई को वित्तपोषण करने के रखे हैं एवं जिसके पेटे 13000 आवेदन पत्र विभाग द्वारा प्रायोजित कर बैंकों को भेजे गये हैं जिसमें से केवल 5165 आवेदन पत्रों में ही ऋण वितरण की कार्यवाही की गई है तथा लगभग 9000 आवेदन पत्र बैंक शाखाओं में लंबित हैं जिसमें एसबीआई, बीओबी, एसबीबीजे, पीएनबी, बीआरकेजीबी एवं आरएमजीबी प्रमुख हैं तथा जिसकी सूचना पूर्व में एसएलबीसी के द्वारा सभी बैंकों को उपलब्ध करवा दी गई है. उन्होनें अनुरोध किया कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति में कुछ ही दिन शेष हैं ऋण स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही करावें एवं मुद्रा ऋण योजना के तहत ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट को प्रदत्त ऋणों को बीआरएसवाई योजना के तहत ब्याज अनुदान हेतु लाभान्वित किया जा सकता है एवं इसकी सूचना जिला उद्योग केन्द्रों को उपलब्ध कराने का आग्रह किया.

स्टेण्ड अप-इण्डिया (SUI)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि योजनान्तर्गत राज्य के बैंकों को आवंटित 13430 के लक्ष्य के सापेक्ष 1066 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है. बैंकों से आग्रह किया कि उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्ययोजना के साथ क्रियांविति करावें.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति महोदय ने सुझाव दिया कि जिन बैंक की ग्रामीण शाखाओं में स्टेण्ड अप इंडिया योजनांतर्गत नए उपक्रमों को ऋण दिये जाने की संभावनाएं कम हैं, उन्हें जिला स्तर की शाखाओं से लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए.

एजेण्डा क्रमांक - 6
Rural self Employment Training Institute (RSETI)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में 35 RSETI/RUDSET संचालित हैं एवं वर्ष 2016-17 की दिसम्बर 2016 तिमाही में आरसेटी द्वारा 7809 प्रार्थियों को प्रशिक्षित कर उनमें से 1632 व्यक्तियों को व्यवस्थापित किया गया है. राज्य में सभी आरसेटी

की समेकित व्यवस्थापन दर 65.85% रही है, जिनमें से 44.65% लोगो को बैंक ऋण से व्यवस्थापित किया गया है.

RSETI- Status Building Construction (Summary)

सहायक महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरसेटी संस्थानों के 15 भवन निर्माणाधीन हैं एवं 11 जिलों में भूमि आवंटन के प्रकरण विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं. राज्य सरकार से इन प्रकरणों पर शीघ्र निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया गया.

Progress under RBI's Model Scheme for Financial Literacy Centers

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि विभिन्न बैंकों ने 67 FLCs स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से दिसम्बर 2016 तिमाही में (पार्ट ए) लक्षित समूह के लिए 756 एवं पार्ट बी के लिए 675 विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं.

एजेण्डा क्रमांक - 7
Performance under CGTMSE

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने योजनान्तर्गत राज्य में दिसम्बर 2016, तिमाही तक 11425 उधमियों को एवं राशि 427 करोड़ रू को कवर किये जाने से समिति को अवगत करवाया.

आयुक्त, उद्योग एवं शासन सचिव सीएसआर, राजस्थान सरकार ने इस योजनान्तर्गत बैंकों से कवरेज बढ़ाने का आग्रह किया.

महाप्रबंधक सिडबी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस योजना में कवरेज की सीमा रू 1 करोड़ से बढ़ाकर रू 2 करोड़ कर दी है जिसमें एनबीएफ़सी (NBFC) एवं आरआरबी (RRB) के द्वारा प्रदत्त ऋणों को भी शामिल कर लिया गया हैं.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

एजेण्डा क्रमांक - 8
शिक्षा ऋण (Education Loan)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने योजनान्तर्गत 31 दिसम्बर 2016 तक राज्य में 18453 छात्रों को राशि 220 करोड़ रू के शैक्षिक ऋण उपलब्ध करवाए गए हैं जिनमें कुल बकाया राशि 1631.79 करोड़ रू होने से अवगत करवाया.

एजेण्डा क्रमांक - 9

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बैंकों ने दिनांक 31.12.2016 तक 578 व्यक्तियों को 4325 लाख रू का ऋण वितरित किया गया है जिनमें एनएचबी से CLSS उपलब्ध करवाया जाना है तथा 153 व्यक्तियों को 466 लाख रू का ऋण वितरित किया हैं जिनमें हुड़को से CLSS उपलब्ध करवाया जाना है.

टेबल एजेंडा (Table Agenda)

Chief Minister Skill Loan Scheme

उप महाप्रबंधक, आरएसएलडीसी ने समिति को अवगत करवाया किया कि आईबीए से अनुमोदित स्किल लोन स्कीम को राज्य सरकार ने Chief Minister Skill Loan Scheme के नाम से प्रारम्भ करने जा रही है जिसमें लाभार्थियों को 6% ब्याज अनुदान अपफ्रंट (Upfront) उपलब्ध करवाया जाएगा.

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में पूर्ण छूट प्रदान की है.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

Control of SBI over SBBJ Sponsored 9 FLCs due to proposed merger of SBBJ into SBI

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि एसबीबीजे एवं सहयोगी बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में विलय के कारण SBBJ द्वारा संचालित सभी 9 FLC केन्द्रों को भारतीय स्टेट बैंक के अधीन दिये जाने के प्रस्ताव पर समिति से अनुरोध किया गया. समिति ने प्रस्ताव को अनुमोदित किया.

उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री संदीप भटनागर द्वारा समिति में पधारे मंचासीन अतिथियों, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड के अधिकारी सहित सभी बैंकर्स को धन्यवाद ज्ञापित किया गया.

****